न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 20/2025

शेषमल पुत्र श्री सुआ सिंह, जाति रावत, निवासी चैनपुरा, जैतारण, सेवरिया, पाली (राज)
.....प्रार्थी

बनाम

1. उर्वरक निरीक्षक, कृषि विभाग, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि, अजमेर
2. थानाधिकारी, पी.एस. किशनगढ, जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री शिव लाल यादव	सहायक निदेशक	पेरोकार सरकार
श्री के0के0शर्मा	अभिभाषक	प्रार्थी

(सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र वास्ते जब्तशुदा वाहन को निर्मुक्त करने बाबत)

आदेश

दिनांक– 05.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि विभाग के अधिकारी इंस्पेक्टर अदिती माथुर, उर्वरक निरीक्षक, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0) अजमेर राजस्थान के द्वारा पुलिस थाना अधिकारी के समख उपस्थित होकर एक घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 99/2025 पीएस किशनगढ, जिला अजमेर अपराध अंतर्गत धारा 318 (4), 61 (2) बी.एन.एस. एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं धारा 19 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के दर्ज करवाई गई जो जैर अनुसंधान है। हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही के दौरान विभाग के अधिकारियों के द्वारा दिनांक 30.05.2025 को मेरा वाहन ज़ेसीबी जिसके पंजीयन कमांक RJ 36 EA 1282 Engine No H00448806 Chasis No RAJ3DXS4E03489993 Company JCB India Pvt Ltd जो कि मेरे स्वयं की खरीदशुदा व स्वामित्वशुदा है। मेरे उक्त वाहन को फर्म राघव एग्रो इण्डस्ट्रीज के परिसर ईकाई में किराये पर ले रखी थी जो कि अपने परिसर में पौधा रोपण के लिए खड्डे खोदने हेतु रखी हुई थी परन्तु औचक निरीक्षण के दौरान फर्म परिसर को जब्त किये जाने के दौरान मेरे रखे वाहन को बिना किसी औचित्य के जब्त कर दिया गया है। हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही में काफी लम्बा समय लगने की संभावना है उक्त कारणवंश प्रतिदिन वित्तीय/आर्थिक क्षति कारित हो रही है उक्त वाहन मेरी आजिविका का एक मात्र साधन है जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण होता है यदि वाहन को जब्ती से मुक्त नहीं किया जाता है तो इसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं होगा एवं काफी लम्बे समय तक वाहन को रखने से वाहन के खराब होने की पूर्णरूप से संम्भवना है। संपूर्ण परिस्थितियों से कृषि विभाग के अधिकारियों को अवगत करवा रहा हूं कि उक्त वाहन का एक मात्र मालिक व स्वामी में स्वयं है ना कि फर्म राघव एग्रो इण्डस्ट्रीज है उक्त कारणवंश मेरे वाहन को जल्द से जल्द सीज मुक्त किया जावे। उपरोक्त वाहन बैंक से ऋणसुंदा है जिसकी प्रतिमाह किश्त का भुगतान भी समय पर मुझ प्रार्थी द्वारा किया जाता है ऐसी दशा में यदि वाहन को जल्दी ही सीज मुक्त नहीं किया गया तो मुझ प्रार्थी

जिला कलक्टर
अजमेर

द्वारा अपने वाहन की किश्तें भरने में भी असुविधा का सामना करना पडेगा एवं मेरे द्वारा बैंक कि किश्ते अदा करने की सूरत में बैंक द्वारा मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मैं उपरोक्त वाहन के स्वामित्व से सबंधित समस्त दस्तावेज उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका अवलोकन करने के पश्चात कृषि विभाग के अधिकारियों को स्वतः संज्ञान हो जायेगा कि उपरोक्त वाहन फर्म राघव एग्रो इण्डस्ट्रीज का नहीं है जिसका मात्र स्वामित्व मेरे पास है। विद्वान न्यायालय मुझ प्रार्थी को उपरोक्त वाहन सुपदर्गीनामें पर छोड़ने का आदेश पारित फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण से टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त होने पर उभय पक्ष को सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि कृषि विभाग के अधिकारी इंस्पेक्टर अदिती माथुर, उर्वरक निरीक्षक, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0) अजमेर राजस्थान के द्वारा पुलिस थाना अधिकारी के समख उपस्थित होकर एक घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 99/2025 पीएस किशनगढ, जिला अजमेर अपराध अंतर्गत धारा 318 (4), 61 (2) बी.एन.एस. एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं धारा 19 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के दर्ज करवाई गई जो जैर अनुसंधान है। हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही के दौरान विभाग के अधिकारियों के द्वारा दिनांक 30.05.2025 को मेरा वाहन जेसीबी जिसके पंजीयन क्रमांक RJ 36 EA 1282 Engine No H00448806 Chasis No RAJ3DXS4E03489993 Company JCB India Pvt Ltd जो कि मेरे स्वयं की खरीदशुदा व स्वामित्वशुदा है। मेरे उक्त वाहन को फर्म राघव एग्रो इण्डस्ट्रीज के परिसर ईकाई में किराये पर ले रखी थी जो कि अपने परिसर में पौधा रोपण के लिए खड्डे खोदने हेतु रखी हुई थी परन्तु औचक निरीक्षण के दौरान फर्म परिसर को जब्त किये जाने के दौरान मेरे रखे वाहन को बिना किसी औचित्य के जब्त कर दिया गया है। हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही में काफी लम्बा समय लगने की संभावना है उक्त कारणवंश प्रतिदिन वित्तीय/आर्थिक क्षति कारित हो रही है उक्त वाहन मेरी आजिविका का एक मात्र साधन है जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण होता है यदि वाहन को जब्ती से मुक्त नहीं किया जाता है तो इसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं होगा एवं काफी लम्बे समय तक वाहन को रखने से वाहन के खराब होने की पूर्णरूप से संम्भवना है। संपूर्ण परिस्थितियों से कृषि विभाग के अधिकारियों को अवगत करवा रहा हूं कि उक्त वाहन का एक मात्र मालिक व स्वामी में स्वयं है ना कि फर्म राघव एग्रो इण्डस्ट्रीज है उक्त कारणवंश मेरे वाहन को जल्द से जल्द सीज मुक्त किया जावे। उपरोक्त वाहन बैंक से ऋणसुदा है जिसकी प्रतिमाह किश्त का भुगतान भी समय पर मुझ प्रार्थी द्वारा किया जाता है ऐसी दशा में यदि वाहन को जल्दी ही सीज मुक्त नहीं किया गया तो मुझ प्रार्थी द्वारा अपने वाहन की किश्तें भरने में भी असुविधा का सामना करना पडेगा एवं मेरे द्वारा बैंक कि किश्ते अदा करने की सूरत में बैंक द्वारा मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मैं उपरोक्त वाहन के स्वामित्व से सबंधित समस्त दस्तावेज उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका अवलोकन करने के पश्चात कृषि विभाग के अधिकारियों को स्वतः संज्ञान हो जायेगा कि उपरोक्त वाहन फर्म राघव एग्रो इण्डस्ट्रीज का नहीं है जिसका मात्र स्वामित्व मेरे पास है। अतः प्रार्थी का सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्तशुदा वाहन संख्या RJ 36 EA 1282 को सुपदर्गीनामें पर छोड़ने हेतु निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

अप्रार्थी संख्या 1 उर्वरक निरीक्षक, एवं कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण), कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0.), अजमेर ने टिप्पणी दिनांक 30.07.2025 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 30.05.2025 को मैसर्स राघव एग्रो इंडस्ट्रीज टिकावडा किशनगढ, अजमेर के विनिर्माण इकाई परिसर पर नमूने आहरित कर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1)(डी) के तहत जब्ती की कार्यवाही की गई थी। उक्त जब्ती की कार्यवाही के समय मैसर्स राघव एग्रो इंडस्ट्रीज टिकावडा किशनगढ, अजमेर के विनिर्माण इकाई परिसर में फर्म प्रोपराईटर/प्रतिनिधि के तौर पर कोई व्यक्ति मोजूद नहीं था तथा उक्त परिसर में खड़ी जेसीबी का मालिक/ड्राइवर भी उपस्थित नहीं था चुंकि उक्त फर्म विनिर्माण इकाई परिसर से अवैध उर्वरक निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय का कार्य किया जा रहा था जिसको उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 जब्त करके उक्त भण्डारित उर्वरक खुर्द–बुर्द नही हो इसलिए फर्म परिसर को सील करना आवश्यक था। जब्ती के समय फर्म परिसर में कोई फर्म प्रतिनिधी एवं मोजूद जेसीबी का मालिक/ड्राईवर उपस्थित नहीं होने के कारण जेसीबी फर्म परिसर के अन्दर खड़ी रह गई थी।

थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर ने टिप्पणी दिनांक 30.07.2025 प्रस्तुत कर दिनांक 31.05.2025 को परिवादी अदिति माथुर पुत्री श्री श्याम बाबु जाति कायस्थ उम्र 30 साल निवासी शास्त्री नगर अजमेर हाल कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) अजमेर, श्री कृष्ण कुमार यादव पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति यादव उम्र 37 साल निवासी सुन्दरपुरा पुलिस थाना किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर हाल वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक काढा, किशनगढ, श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बंशीलाल जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी पृथ्वीपुरा पुलिस थाना फुलेरा जिला जयपुर हाल सहायक कृषि अधिकारी किशनगढ, श्री सौरभ गर्ग पुत्र श्री हर्षवर्धन जैन जाति जैन उम्र 35 साल निवासी 203 विजया सरिता एनक्लेव पंचशील नगर अजमेर हाल बीज उवर्रक एवं कीटनाशी निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि विभाग, जिला परिषद अजमेर, श्री कैलाशचन्द शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जाति ब्रहामण उम्र 46 साल निवासी उगारियावास फुलेरा पुलिस थाना फुलेरा जिला जयपुर हाल Dept. PD ATMA आत्मा अजमेर, श्री गणपत चौधरी पुत्र श्री रामलाल जाति जाट उम्र 29 साल निवासी स्टेशन वाली ढाणी सींवार पुलिस थाना बिन्दायका जिला जयपुर राज0 हाल पर्यवेक्षक ग्राम टीकावडा अजमेर से अनुसंधान कर बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण हाजा में परिवादिया की निशादेही से घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 05.06.2025 को परिवादिया श्रीमति अदिती माथुर द्वारा सीज किये गये घटनास्थल को पुन खोलने पर घटनास्थल फर्म का अन्दर से निरीक्षण किया गया तब फर्म में जेसीबी जिसके पंजीयन क्रमांक RJ 36 EA 1282 खड़ी करवाई गई थी जिसके सबंध में जानकारी प्राप्त करने पर परिवादिया ने बताया कि उक्त जेसीबी व अन्य वाहन इस फर्म में नकली मिलावटी उर्वरक/खाद बनाने में उपयोगी होने पर फर्म के साथ इन्हे भी जब्त कर सीज किया गया। वाहन जेसीबी नम्बर RJ 36 EA 1282 को थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ द्वारा जब्त नहीं किया गया है उक्त वाहन को कृषि विभाग के अधिकारी अदिति माथुर द्वारा जब्त किया गया है। प्रार्थी के वाहन का कृषि विभाग द्वारा कार्यवाही करते समय राघव एग्रो इण्डस्ट्री टीकावड़ा में उपस्थित होने के कारण उक्त वाहन को फैक्ट्री के साथ ही सीज किया गया है। प्रार्थी के वाहन सबंधी अनुसंधान शेष है वाहन सबंधी कोई अनुसंधान आज दिनांक तक नहीं किया गया है। प्रार्थी का उक्त वाहन थाना

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

परिसर में खडा नहीं करवाया गया है उक्त वाहन सीज की गई राघव एग्रो इण्डस्ट्री टीकावड़ा में ही खडा है और उक्त फैक्ट्री को कृषि विभाग के अधिकारियो द्वारा सीज किया गया है। उक्त वाहन को सुपुर्दगीनामा पर छोडने/रिलीज करने से सबंधित निर्णय कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0) अजमेर की टिप्पणी दिनांक 30.07.2025 के साथ संलग्न फर्द जब्ती दिनांक 30.05.2025 में उक्त जे.सी.बी. वाहन संख्या RJ 36 EA 1282 का जब्ती में उल्लेख नहीं है साथ ही थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ. की टिप्पणी दिनांक 30.07.2025 में प्रार्थी के वाहन जेसीबी नम्बर RJ 36 EA 1282 को जब्त नहीं किया जाना अंकित किया हैं। थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर के प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 0099 दिनांक 31.05.2025 में भी उक्त वाहन का कोई उल्लेख नहीं होने व उक्त जेसीबी वाहन नम्बर RJ 36 EA 1282 प्रकरण में जब्त नहीं होने से प्रार्थी का सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होना प्रतीत होता हैं। लिहाजा प्रार्थी/सुपुर्दगीगार का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 05.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर